

पत्र संख्या : : ७८/४७०१ यो०ज०सं०-१५/२०१८ ८१०  
 झारखण्ड सरकार  
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
 अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रॉची ;  
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: १५/३/१९

विषय :— मॉग संख्या-४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०—सामान्य, लघु शीर्ष-७९६—जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-७५—सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकण, विस्तृत शीर्ष-०६—अनुदान, ४९ आर्थिक सहायता, विपत्र कोड ४९S470180796750649 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में निधि का आवंटन।

प्रसंग :— प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-७७/१८-१९, दिनांक-०८.०३.२०१९

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है:—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
१	२	३	४	५
1.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य	७९६—जन-जातीय उपयोजना/७५—सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकण	०६—अनुदान, ४९ आर्थिक सहायता विपत्र कोड— ४९S470180796750649	67.65

आवंटित राशि – ₹ सड़सठ लाख पैसठ हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के बजट उपबंध राशि ₹ 1550.00 लाख (पन्द्रह करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९८६, १८०० (वि.०) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ एवं २७४७ /वि., दिनांक—१९.०९.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट १ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

→ ८१०

(राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार द्वौर)  
 विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)  
 अभियंता प्रमुख-१

✓

- 2/2
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
  8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
  9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
  10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
  11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
  12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
  13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनु-यथोक्त

  
(अरुण कुमार सिंह) 15.3.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— ११०

रॉची, दिनांक :— 15/3/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/गुमला/चाईबासा/बुण्डु/सिमडेगा/चक्रधरपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त।


  
(अरुण कुमार सिंह) 15.3.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— ११०

रॉची, दिनांक :— 15/3/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक—यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

  
(अरुण कुमार सिंह) 15.3.19  
अपर मुख्य सचिव

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,  
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,  
लघु शीर्ष-796-जनन-जलीय क्षेत्रीय उपयोजना  
उप शीर्ष-75-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकण,

वस्तुत शीर्ष-06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 49S470180796750649

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपरबंध 1550.00 लाख (पद्धत करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अधियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		वार्ष 2018 तक का व्यय	पूर्व का आंदान	वर्तमान आंदान	कुल आंदित राशि	Online Allotment Access No.	अस्थक्षित
				प्रसंग	राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)		प्रसंग	प्रसंग	राशि	0.00	0.00	3.98	3.98	101599	DPR of ERM work of Katri Res Scheme
2	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)		प्रसंग	प्रसंग	राशि	0.00	0.00	1.04	1.04		.DPR of Jaipur Scheme
3	सिंचाई प्रमंडल, तुङ्ग (RNCCR011)		प्रसंग	प्रसंग	राशि	242.12	0.00	7.22	7.22	101605	DPR of Kanchi Weir Scheme under CADWM
4	जलपथ प्रमंडल, सं-1, सिमडोा (SDGIRR001)		प्रसंग	प्रसंग	राशि	0.00	0.00	2.88	2.88	101607	DPR of ERM work of Tapkara Res. Scheme
5	जलपथ प्रमंडल सं-1, चक्रधरपुर (SGHIRR016)		प्रसंग	प्रसंग	राशि	0.00	0.00	3.96	3.96		DPR of ERM work of Vijay Res. Scheme
						0.00	0.00	5.89	5.89	101611	DPR of ERM work of Jenasai Res. Scheme
						0.00	0.00	3.86	3.86		DPR of ERM work of Sonua Irr. Scheme
						योग	0.00	67.65	67.65		

आंदित राशि - ₹ सडस्य लाख पैसठ हजार मात्र।

रमेश कुमार देव  
(रमेश कुमार सिंह)

राजेन्द्र प्रसाद  
उप सचिव (आम्र.)

(हमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-1  
अपर मुख्य सचिव



(हमन्त कुमार सिंह)

15-3-19